



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
 Kadar Nawaz Khan
 कुलसचिव (कार्यवाहक)
 Registrar (Acting)



दूरभाष नं. 07152-242812

पत्रांक: 04/परी/वि.स.एवं वि.प./2025/07/ 3002
 दिनांक: 24/09/2025

अधिसूचना

विद्या-परिषद् की दिनांक 30/07/2025, विस्तारित तिथि 11/08/2025 तथा 12/08/2025 को संपन्न 45वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या -13 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण के संदर्भ में लिए गए निर्णय एवं तदोपरांत कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या-11 के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में निम्नानुसार दरें लागू की जाती है :

विगत 10 वर्षों में जारी किए गए प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु	₹150/- प्रति प्रमाणपत्र (उपाधि, अंक-पत्र, अस्थाई प्रमाणपत्र आदि)
10 वर्ष से पूर्व जारी किए गए प्रमाणपत्रों के लिए सत्यापन हेतु	₹500/- प्रति प्रमाणपत्र (उपाधि, अंक-पत्र, अस्थाई प्रमाणपत्र आदि)
सरकारी संस्थाओं से	कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
विदेशी विद्यार्थियों के संबंध में	\$100 प्रति प्रमाणपत्र

उपरोक्त उल्लिखित शुल्क की दरें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू की जाती है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
 (कादर नवाज़ ख़ान)
 24/09/25

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्र के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी
4. अकादमिक विभाग
5. लीला विभाग (वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु)
6. संबंधित पत्रावली